

राजस्थान सरकार  
अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर

कमांक सं.27(4)(1)पदो./अभि/2024/

जयपुर,दिनांक

**पदोन्नति आदेश**

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 32-33 के अन्तर्गत विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा पर निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कनिष्ठ सहायक के पद पर वर्ष 2024-25 की रिक्तियों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 पे मेट्रिक्स लेवल 5 में पदोन्नत किया जाता है-

क्र०स०	कार्मिक का नाम मय पिता का नाम	वर्ग	रिक्ति की दिनांक जिसके विरुद्ध चयन किया गया
01	02	03	04
01.	श्री लुकेश निम्मीवाल पुत्र श्री राजमजीलाल	अनारक्षित	01.04.2024

पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के फलस्वरूप नकद लाभ पदोन्नत पद पर उपस्थिति की दिनांक से देय होंगे। पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

(रवि शर्मा)

निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर

**प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-**

01. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन ।
02. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय/अभियोजन) राजस्थान जयपुर ।
03. समस्त संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.) सहित ।
04. सम्बन्धित कार्मिक... ..द्वारा:- कार्यालयध्यक्ष ।
05. संस्थापन शाखा मंत्रालयिक (कनिष्ठ)/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शाखा, अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर ।
06. रक्षित पत्रावली ।

निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर